"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 509] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर 2014—आश्विन 8, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्रमांक 8553/डी. 153/21-अ/प्रारू./छ.ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 2 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2014

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत:, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) का अस्थाई रूप से संशोधन किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3, 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए, प्रभावी होगा.

मूल अधिनियम का संशोधन.

3. मूल अधिनियम में, शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द "राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 2 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ञञ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ञञ) "राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 50-ख में निर्दिष्ट आयोग जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यट के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी अथवा निकाय होगा."

धारा 50-ख का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 50-ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"50-ख. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग.-

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन सहकारी सोसाइटियों के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग (जो इसमें इसके पश्चात् आयोग के रूप में निर्दिष्ट है) का गठन करेगी.

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सहकारी सोसाइटियों के सभी प्रकार के निर्वाचनों के संचालन करने के लिए, प्रमुख सचिव से अनिम्न श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी, जो छत्तीसगढ़ शासन में सेवारत रहा हो, को राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी.

(3) राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त की अर्हता, निरर्हता, पदावधि और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाए.

(4) राज्य सरकार, उप रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी के पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को, आयोग के सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर, नियुक्त करेगी.

(5) (क) राज्य सरकार, आयोग को ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारीवृंद उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों के निष्पादन करने के लिए आवश्यक हो.

(ख) आयोग, यथा विहित रीति में, किसी सोसाइटी के बोर्ड और उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन कराने के लिए और इस अधिनियम की धारा 49 में यथा उपबंधित आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए भी रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करेगा तथा आयोग, यदि आवश्यक समझे, निर्वाचन के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के प्रयोजन के लिए जोनल अधिकारी या अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करेगा.

(6) आयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों (उम्मीदवारों) और अन्य व्यक्तियों, जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं, के द्वारा पालन किये जाने हेतु आचार संहिता अधिसूचित करेगा.

(7) आयोग को, निर्वाचन में सहयोग एवं सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा करने की शक्तियां होंगी तथा ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी, निर्वाचन के दौरान संपूर्ण रूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे.

(8) (क) निदेशक बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, निदेशक बोर्ड की पदावधि के अवसान होने के पूर्व किया जाएगा जिससे कि निदेशक बोर्ड के नवीन निर्वाचित किए गए सदस्यों का, बहिर्गामी निदेशक बोर्ड के सदस्यों की पदावधि के अवसान होते ही, पद धारण करना सुनिश्चित किया जा सके.

(ख) आयोग, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन ऐसी रीति में संचालित करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी बोर्ड, विद्यमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान होने के पूर्व छः मास के भीतर, उस बोर्ड के निर्वाचन के संचालन के लिए, आयोग को लिखित में, ऐसी रीति में, अनुरोध करेगी जैसा कि विहित किया जाए.

(घ) खण्ड (ग) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान होने के पूर्व निर्वाचन संपन्न हो जाए.

(ङ) बोर्ड का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख जिनकी आयोग, निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए, अपेक्षा करे, अद्यतन है और आयोग या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को समय पर उपलब्ध करा दिये गये हैं.

(च) बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगी कि निर्वाचन के संचालन के लिए आयोग को उसके द्वारा ऐसी समस्त सहायता, जैसा और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध कराई जाएगी.

(9) बोर्ड के निर्वाचन के संचालन करने में उपगत समस्त व्यय, राज्य सरकार द्वारा, अग्रिम रूप में, आयोग को भुगतान किये जायेंगे तथा उसकी वसूली, उस सोसायटी से, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जैसा कि उसके द्वारा विहित किया जाए.

(10) आयोग, बोर्ड या उसके सदस्यों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जैसा कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन के लिए युक्तियुक्त समझे एवं इस धारा के अधीन जारी किए गए ऐसे निर्देश, बोर्ड एवं उसके सदस्यों पर बंधनकारी होंगे."

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्रमांक 8553/डी. 153/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 2 of 2014)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2014.

(2) It shall extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendments specified in Section 3, 4 and 5 of this Ordinance. The Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) to be teporarily amended.

3. In the Principal Act, for the words "State Election Commission", wherever they occur, the words "State Co-operative Election Commission" shall be substituted. Amendment of the Principal Act.

4. For clause (jj) of Section 2 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- Amendment of Section 2.

"(jj) "State Co-operative Election Commission" means a Commission referred to in Section 50-B of this Act, which shall be the authority or body for the purpose of superintendence, direction and control of the Preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to a co-operative society under Article 243ZK of the Constitution of India."

5. For Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- Amendment of Section 50-B.

"**50-B. State Co-operative Election Commission.-** (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a State Co-operative Election Commission (hereinafter referred to as the Commission) for the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to a co-operative society under the provisions of this Act and rules made thereunder.

(2) The State Government shall appoint any officer of the Indian Administrative Service not below the rank of Principal Secretary, who has served in the Government of Chhattisgarh, as the State Co-operative Election Commissioner to conduct all elections to co-operative societies under this Act or rules made thereunder.

(3) The qualification, disqualification, term and conditions of service of the State Co-operative Election Commissioner shall be such as may be prescribed.

(4) The State Government shall appoint on deputation any person, holding a post not below the rank of Deputy Registrar, as the Secretary to the Commission.

(5) (a) The State Government shall provide the Commission with such offcers and staff, as may be necessary for the performance of its functions.

(b) The Commission shall appoint a Returning Officer in the manner as may be prescribed, to conduct election to the Board of a society and its office-bearers and also to fill-up casual vacancies as provided in Section 49 of this Act and the Commission, if it thinks necessary may also appoint zonal or other offcers for the purpose of supervision and control of the election.

(6) The Commission shall notify the code of conduct to be followed by the candidates, functionaries engaged in the process of election and others for enabling free and fair election.

(7) The Commission shall have the powers to seek requisition of the services of other Officers for aiding and assisting in the election and such requisitioned Officers shall be under the overall supervision and control of the Commission during the election.

(8) (a) The election of members of the Board of Directors shall be conducted before the expiry of the term of Board of Directors, so as to ensure that the newly elected members of the Board of Diretors assume office immediately on the expiry of the term of members of the outgoing Board of Directors.

(b) The Commission shall conduct elections of all co-operative societies registered under the Act in such manner, as may be prescribed.

(c) The outgoing Board of every co-operative society shall send a written request in such manner, as may be prescribed, to the Commission to conduct the election of its Board within six months prior to the expiry of the term of the existing Board.

(d) On receipt of the request under clause (c), the Commission shall ensure that the election is conducted before the expiry of the term of existing Board.

(e) It shall be the duty of the Board to ensure that all information, books and records, which may be required by the Commission for the purpose of election, are kept updated and made available in time to the Commission or any official authorized by it for this purpose.

(f) The Board shall also ensure that all assistance to the Commission is provided as and when required by it for conduct of the election.

(9) All expenses incurred in conducting elections of the Board shall be paid to the Commission, in advance, by the State Government and the same shall be recovered from such society by the State Government in the manner as may be prescribed by it.

(10) The Commission may issue such instructions to the Board or its members, which it may consider reasonable for conducting free and fair election and such instructions issued under this Section shall be binding on Board and its members."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.